रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022021-224950
CG-DL-E-04022021-224950

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 2021/माघ 15, 1942
No. 45] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 2021/MAGHA 15, 1942

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2021

"कौशल प्रशिक्षण ईको-सिस्टम के तहत एक अवार्डिंग बॉडी और मूल्यांकन एजेंसी के रूप में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) का कार्यपद्धति"

सं. एमएसडीई(डीजीटी)-19/08/2020-सीडी.—सामान्य सूचना के लिए निम्नलिखित को प्रकाशित किया जाता है:—

उद्देशिका

जबकि **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय** ने वर्तमान **राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए)** का विलय कर दिनांक 05 दिसंबर, 2018 की अधिसूचना **सं. एसडी-17/113/2017-ईएंडपीडब्ल्यू** के माध्यम से **राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी)** का गठन किया है।

जबकि **राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी)** को अवार्डिंग बॉडीज, मूल्यांकन एजेंसियों, कौशल सूचना प्रदाताओं एवं प्रशिक्षण निकायों को मान्यता प्रदान करने और उनका अनुवीक्षण करने हेतु व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के विकास, गुणवत्ता सुधार एवं विनियमन तथा इस संकल्प में यथा विनिर्दिष्ट अन्य आकस्मिक कार्यों के निर्वहन का दायित्व सौंपा गया है।

जबकि परिषद **(एनसीवीईटी)** ने उसे दिनांक **10.06.2020** के फा.सं.32001/14/2020-एनसीवीईटी/234 के माध्यम से **परिषद के कार्य एवं शक्तियों** के अध्याय III के पैरा 16(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **डीजीटी**

द्वारा सृजित और इस प्रयोजनार्थ **एनसीवीईटी** द्वारा अनुमोदित अर्हताओं के संबंध में आईटीआईज और एनएसटीआईज/ आईटीओटीज में दीर्घकालिक प्रशिक्षणों और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए **प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी)** को एक पूर्ण **'अवार्डिंग बॉडी'** और **'मूल्यांकन एजेंसी'** के रूप में मान्यता प्रदान की है।

अतः उपर्युक्त के अनुसरण में, **प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) एपेक्स कमेटी** को संस्थानों के प्रत्यायन, संबंधन, असंबंधन और पुनः संबंधन से संबंधित प्रस्तावों हेतु संस्थागत पर्यवेक्षक उपलब्ध कराने के लिए एतदद्वारा एक औपचारिक संरचना के रूप में अधिसूचित किया जाता है। यह **डीजीटी एपेक्स कमेटी, एनसीवीईटी** के दिशा-निर्देशों एवं आदेशों की संगतता में गुणवत्ता, मानकों की सुनिश्चितता करेगी। **डीजीटी एपेक्स कमेटी** तीन शक्तिप्राप्त **स्थायी समितियों** और अपने तहत एक **गुणवत्ता आश्वासन एकक** के माध्यम से अपनी मुख्य भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगी।

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और गठन: -

i. समिति/कमेटी को **प्रशिक्षण महानिदेशालय एपेक्स कमेटी** (डीजीटी एपेक्स कमेटी) के रूप में जाना जाएगा।

ii. समिति भारत के अधिकारिता राजपत्र में अधिसूचना के **प्रकाशन की तारीख** से प्रवर्तन में आएगी।

iii. समिति का गठन निम्नानुसार होगा: -

1	महानिदेशक (पदेन)	अध्यक्ष
2	उप महानिदेशक (महानिदेशक द्वारा नामित)	सदस्य सचिव
3-4	अन्य उप महानिदेशक	सदस्य
5	अध्यक्ष, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद का नामिती	सदस्य
6	अपर सचिव / वित्तीय सलाहकार, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई)	सदस्य
7	संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य
8	संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	सदस्य
9	संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय	सदस्य
10	उत्तर भारत राज्य में सचिव (आईटीआई) (महानिदेशक द्वारा वार्षिक रूप से रोटेशन आधार पर नामित किया जाना है)	सदस्य
11	दक्षिण भारत राज्य में सचिव (आईटीआई) (महानिदेशक द्वारा वार्षिक रूप से रोटेशन आधार पर नामित किया जाना है)	सदस्य
12	पश्चिम भारत राज्य में सचिव (आईटीआई) (महानिदेशक द्वारा वार्षिक रूप से रोटेशन आधार पर नामित किया जाना है)	सदस्य
13	पूर्वी भारत राज्य में सचिव (आईटीआई) (महानिदेशक द्वारा वार्षिक रूप से रोटेशन आधार पर नामित किया जाना है)	सदस्य
14	भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य में सचिव (आईटीआई) (वार्षिक रूप से महानिदेशक द्वारा रोटेशन आधार पर नामित किया जाना है)	सदस्य
15	उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संघ	सदस्य
16	महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ	सदस्य
17	निदेशक, केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान	सदस्य
18	निदेशक, (एडूसेट और वीई), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	सदस्य
19	निदेशक (व्यावसायिक शिक्षा), राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्थान	सदस्य
20-22	लोक उपक्रमों के स्थायी सम्मेलन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संयुक्त चैम्बर, वाणिज्य और उद्योग पीएचडी चैम्बर, भारतीय उद्योग संघ, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ और राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सर्विस कंपनी संघ का वरिष्ठ प्रतिनिधित्व (महानिदेशक द्वारा रोटेशन आधार पर नामित किए जाने वाले 3 सदस्य)	सदस्य

23	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्षेत्रीय कौशल परिषद (विनिर्माण और अन्य क्षेत्र, प्रत्येक से एक वार्षिक रूप से) (महानिदेशक द्वारा रोटेशन आधार पर नामित)	सदस्य
24-25	प्राचार्य, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआइज (सामान्य संस्थान तथा महिला-विशिष्ट संस्थान प्रत्येक से एक, जिन्हें महानिदेशक द्वारा रोटेशन आधार पर नामित किया गया है)।	सदस्य
26-27	प्राचार्य आईटीआई (10 शीर्ष श्रेणी वाले सरकारी निजी आईजीआइज में से 10 (प्रत्येक से, जिन्हें महानिदेशक द्वारा रोटेशन आधार पर नामित)	सदस्य
28-29	सर्वाधिक संख्या में शिक्षुओं को अनुबंधित करने वाले निजी उद्योग/लोक उपक्रम/केंद्रीय/राज्य सरकार के कार्यालय का प्रतिनिधि	सदस्य
30	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम	सदस्य
31	निदेशक, राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान	सदस्य

iv. डीजीटी एपेक्स के कार्य: -

एपेक्स कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्ताव/मानदंड **एनसीवीईटी** के दिशानिर्देशों एवं आदेशों के अनुरूप हों। कमेटी डीजीटी के लिए मार्गदर्शक नीतियों हेतु सुनिश्चित कदम उठाएगी ताकि उन्हें संस्थागत कार्यविधियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सके और वह ऐसी व्यवस्थाएं करेगी जो प्रक्रियारत, मानकीकृत, पारदर्शी हो तथा आईटी साधनों/टूल्स से समर्थित हों। इस दिशा में कमेटी नीतियां बनाकर उन्हें प्रकाशित करेगी, जिसके माध्यम से स्थायी समितियां, उसकी उप-समितियां या डीजीटी आवश्यक कार्रवाईयों के लिए प्रत्यायोजित निर्णय लेंगे।

ये निम्नलिखित डोमेन में होंगेः-

क. एससीसीएस के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के तहत व्यवसायों एवं पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या, पाठ्यविवरण और पाठ्यवस्तु के विकास एवं प्रबंध के लिए दिशानिर्देश।

ख. दीर्घकालिक कौशल विकास के विभिन्न आयामों पर पोजिशन पेपर्स का अनुमोदन उसके विकास को प्रोत्साहन।

ग. पूर्व-सेवा सहित प्रशिक्षकों का प्रमाणन एवं शिक्षण-प्रशिक्षण, प्रवेश एवं निरंतर/नियमित/आवधिक सेवारत प्रशिक्षणों के लिए मानकों के विकास हेतु दिशानिर्देशों और प्रक्रिया को तथा उक्त संस्थानों को विनिर्दिष्ट करने हेतु मानकों के विकास के लिए प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करना।

घ. प्रवेशों सहित परीक्षण एवं मूल्यांकन को परिभाषित एवं विनिर्दिष्ट करने वाले मानकों के लिए उपयुक्त नियंत्रण एवं संतुलन के लिए दिशानिर्देशों को रूपरेखा देना।

ङ. ऐसी मानक परिचालन कार्यविधियां (एसओपी) बनाना कि संस्थानों के प्रत्यायन एवं संबंधनों तथा उनकी भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों और प्रशिक्षण प्रदान करने की शर्तों के लिए प्रक्रियाएं किस प्रकास विकसित की जाएंगी और उक्त शर्तों के उल्लंघन के विरूद्ध परिणामों को विनिर्दिष्ट करना। एसओपी में संस्थानों और डीजीटी के बीच मॉडल एग्रीमेंट/आर्डर भी शामिल किया जाना चाहिए जिनमें एग्रीमेंट के उल्लंघन के विरूद्ध विधिक प्रावधान किए जाएंगे।

च. संस्थानों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्कों एवं अन्य प्रभारों के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश और निबंधनों को निर्दिष्ट करना।

छ. सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना हेतु विकसित मानकों एवं दिशानिर्देशों को प्रदर्शित करना तथा शुल्कों एवं अन्य प्रभारों के उपयुक्त प्रकटन सहित उसका अनुपालन करना। इसके अलावा, सूचना प्राप्त करना और प्रशिक्षणार्थियों की निजी सूचना की गोपनीयता के नियंत्रण पर नीतिगत दिशानिर्देश की अनुशंसा करना तथा संस्थानों से सूचना के प्रकटन एवं गोपनीयता हेतु अनेक कदम उठाने के लिए कहना।

ज. प्रत्यायन की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में संस्थानों के प्रत्यायन/संबंधन को निरस्त करने हेतु मान्यता प्रदान करने वाले एग्रीमेंट में उल्लिखित प्रक्रिया में दिशानिर्देशों को रूपरेखा देना। ऐसी शर्तें भी लागू करना जिनसे डीजीटी को एग्रीमेंट के उल्लंघन के विरूद्ध आर्थिक क्षतिपूर्ति एवं जुर्माना सहित कार्रवाई करने में सुविधा हो। कार्रवाई एवं जुर्माने का स्वरूप इस प्रकार होगाः सार्वजनिक चेतावनी देना, कतिपय गतिविधियों को बंद करना और उनसे दूर रहना, क्षतिपूर्ति (आर्थिक) या प्रशिक्षणार्थियों के कार्यप्रदर्शन की अपेक्षा हेतु निदेश देना; जुर्माना लगाना तथा संस्थानों के प्रत्यायन/संबंधन को समाप्त करना जिसके परिणामस्वरूप उस एग्रीमेंट को समाप्त किया जाएगा जिसके आधार पर प्रत्यायन/संबंधन प्रदान किया गया था।

झ. संस्थानों तथा संस्थानों के पास प्रशिक्षणार्थियों की शिकायतों के निपटान की प्रणाली/प्रक्रिया स्थापित करना।

ञ. डीजीटी द्वारा स्थापित गुणवत्ता आश्वासन की प्रणालियों की समीक्षा करना।

ट. इन दिशानिर्देशों के माध्यम से स्थायी समितियों को पहले से प्रदत्त प्रत्यायोजन से परे उन्हें और अधिक प्रत्यायोजन को वर्णित करना।

ठ. प्रत्यायन और संबंधन की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, संस्थानों के प्रत्यायन / संबंधन या अप्रत्यायन या असंबंधन का अभ्यर्पण और तत्संबंध में जुर्माना लगाना।

ड. अन्य अवार्डिंग निकायों की मूल्यवान अर्हताओं पर सूचना प्राप्त करना ताकि प्रमाणन के लिए एक उत्कृष्ट निकाय के रूप में डीजीटी द्वारा प्रमाणन एवं मूल्यांकन के अधिकारों के साथ उसे संभवतः अंगीकृत किया जा सके।

ढ. अध्यक्ष द्वारा संस्तुत और सौंपे गए उद्द्श्यों को पूरा करने के लिए अन्य कार्य करना।

2. समिति अपने संबंधित डोमेन के भीतर नियमित आधार पर निर्णय लेने हेतु निम्नलिखित 3 शक्तिप्राप्त स्थायी समितियों के माध्यम से कार्य करेगीः-

(1) पाठ्यचर्या एवं मानकों पर स्थायी समिति (एससीसीएस),

(2) प्रत्यायन और संबंधन पर स्थायी समिति (एससीएए),

(3) मूल्यांकन पर स्थायी समिति (एससीए)।

3. **स्थायी समितियों का गठन, संरचना और कार्यः-**

3.1. **पाठ्यचर्या एवं मानकों पर स्थायी समिति (एससीसीएस):-**

3.1.1. समिति का गठन निम्न प्रकार होगा-

क्रम सं.	**पदनाम**	**संरचना**
1.	महानिदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय	अध्यक्ष
2	उप महानिदेशक, पाठ्यचर्या प्रभाग	सदस्य संयोजक
3	निदेशक, पाठ्यचर्या प्रभाग	सदस्य
4	निदेशक, केंद्रीय कर्मचारी, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान	सदस्य
5	निदेशक, राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान	सदस्य
6	निदेशक, व्यवसाय परीक्षण	सदस्य
7-8	दो राज्यों के नामती, जिन्हें रोटेशन आधार पर एक वर्ष की कालावधि के साथ नामित किया जाना है और जो निदेशक की श्रेणी से कम के न हो (महानिदेशक द्वारा नामित)	सदस्य
9-12	एपेक्स कमेटी के 4 सदस्य, जिनमे से 3 सदस्यों में एक सदस्य केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, आईटीआई प्राचार्य प्रत्येक से एक तथा एक उद्योग का प्रतिनिधि होगा (जिसे महानिदेशक द्वारा नामित किया जाना है)	सदस्य

13-14	02 एसटीसीसीसी संयोजक (संबंधित क्षेत्रों के अनुसार महानिदेशक द्वारा नामित)	सदस्य
15	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एपेक्स कमेटी की क्षेत्र कौशल परिषद (महानिदेशक द्वारा नामित)	सदस्य

3.1.2. समिति के कार्य: **-**

i. डीजीटी के कार्यक्षेत्र के भीतर और एनएसक्यूएफ के अनुपालन में व्यवसायों में एनटीसी/एनएसी/एनसीआईसी/एसटीटी की स्थापना करना।

ii. एनएसक्यूएफ से संबद्ध पाठ्यचर्या पर पोजीशन पेपर्स और एसओपी का अनुमोदन करना तथा नए पाठ्यक्रमों के प्रस्ताव के लिए, पाठ्य-विवरण तैयार करने के लिए, अध्यापिकी, शिक्षण, उपकरण मानकों और मूल्यांकन टूल्स के लिए क्षेत्र व्यवसाय पाठ्यक्रम समिति (एसटीसीसी) को एक कॉमन विजन (प्रोसेस फ्लो) उपलब्ध कराना।

iii. एसटीसीसी का गठन करना, उनके कार्यकरण के लिए मॉडल दिशानिर्देश विकसित करना, उनके कार्य का मूल्यांकन करना और तदनुसार, उन्हें संशोधित या परिवर्तित करना तथा बेहतर रीतियों को साझा कर नियमित रूप से उनकी निगरानी कर उनके कार्यकरण का अनुवीक्षण करना।

iv. रिवियू लर्निंग प्रोग्रेशन पाथवेज को क्रेडिट फ्रेमवर्क की संगतता में विकसित करना एवं उसकी निरंतर समीक्षा करना और उसे इस प्रकार लागू करना कि वर्टिकल एवं होरिजेंटल मोबिलिटी के मुद्दों का समाधान किया जा सके।

v. एसटीसीसी की अनुशंसाओं और रिपोर्ट की समीक्षा करना और सीटीएस पाठ्यक्रमों, निर्दिष्ट व्यवसायों एवं सीआईटीएस पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संशोधन, डिलिशन और आवर्धन जैसी अनुशंसाओं की उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय एवं उद्योग रीतियों के अनुसरण में दीर्घावधि एवं अल्पावधि के लिए समीक्षा करना।

vi. पूर्व-सेवा, प्रवेश एवं व्यावसायिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण सहित समस्त अनुदेशक प्रशिक्षण योजनाओं के लिए मानक नयाचार उपलब्ध कराना तथा प्रत्येक प्रशिक्षण को एनएसक्यूएफ स्तर एवं क्रेडिट से संबद्ध करना।

vii. प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) एवं फ्लेक्सी-एमओयू, शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस), उच्चतर डिप्लोमा (व्यावसायिक) शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस), कौशल उन्नयन के लिए अल्पावधिक पाठ्यक्रम तथा उच्चतर व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (एवीटीएस) या इस प्रकार के कोई भी अन्य पाठ्यक्रमों के तहत पाठ्यक्रमों सहित शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) की पाठ्यचर्या एवं पाठ्य-विवरण, अध्यापिकी और प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया का अनुमोदन करना।

viii. एसटीसीसी द्वारा विकसित व्यवसाय एवं विषय-वस्तुओं की नामावली, क्षेत्र, अवधि, टूल्स एवं उपकरण, पॉवर, स्पेस आदि तथा संस्थान या पाठ्यक्रम को एपेक्स कमेटी के दिशानिर्देशों और नीतियों के अनुरूप संचालित करने हेतु सभी अनुदेशात्मक एवं अन्य कर्मचारियों के लिए अपेक्षित अर्हता मानदंडों की समीक्षा एवं अनुमोदन करना।

ix. पाठ्य-विवरण के संबंध में मानकों को विनिर्दिष्ट करना और तदनुसार पाठ्य-विवरण के अनुरूप यथा आवश्यकता बोर्डिंग पर , पाठ्यपुस्तकों, प्रैक्टिकल परीक्षा, डिजिटल सत्र आदि का अनुमोदन करना।

x. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए थ्योरी एवं प्रैक्टिकल परीक्षाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया एवं अवधि के ब्रॉडकन्टोर सहित मार्किंग की जेनेरिक स्कीम बनाना।

xi. क्षेत्रों, व्यवसायों और पाठ्यक्रमों की पहचान करना।

xii. सार्वजनिक परामर्श और फीडबैक पद्धति सहित पाठ्यवस्तु विकसित करने के लिए उपाय करना तथा निरंतर उन्नयन के लिए त्वरित औद्योगिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रियाओं का निर्धारण करना।

3.2. प्रत्यायन और संबंधन पर स्थायी समिति (एससीएए) : -

3.2.1. समिति का गठन निम्न प्रकार होगा-

क्रम सं.	**पदनाम**	**संरचना**
1.	महानिदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय	अध्यक्ष
2	उप महानिदेशक (व्यवसाय प्रमाणन)	सदस्य संयोजक
3.	निदेशक (संबंधन)	सदस्य
4	निदेशक (पाठ्यचर्या प्रभाग)	सदस्य
5-7	3 सदस्य, जिनमें से संबंधन अवार्डिंग निकाय (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद), प्रत्येक से एक, संबंधित जिले के उद्योग से एक प्रतिनिधि और संबंधित क्षेत्र की क्षेत्र कौशल परिषद से एक प्रतिनिधि होगा (महानिदेशक द्वारा नामित किया जाना)	एपेक्स कमेटी से सदस्य
8-9	एपेक्स कमेटी में सदस्य राज्य से दो सदस्य जिन्हें राज्य सचिवों द्वारा नामित किया जाना है और जो अपर सचिव/निदेशकों की श्रेणी से कम के न हो (महानिदेशक द्वारा नामित किया जाना है)	सदस्य- राज्य सरकारें

3.2.2. प्रत्यायन और संबंधन पर स्थायी समिति के कार्य: -

i. संबंधन, असंबंधन और पुन: संबंधन के लिए आवेदनों की जांच करना और अध्यक्ष को अपनी स्वीकृति या सिफारिशें या दोनों देना।

ii. पाठ्यचर्या और मानकों पर स्थायी समिति को मानदंडों के लिए उपयुक्त सिफारिशें देना।

iii. शैक्षणिक कैलेंडर को अनुमोदित करना और विशेष शैक्षणिक सत्र के लिए न्यूनतम शिक्षण अवधि निर्धारित करना।

iv. निम्नलिखित को सूचीबद्ध करने के लिए प्रक्रिया तैयार करना व अनुमोदित करना

क. संवीक्षा सह मान्यता समिति के सदस्य

ख. निरीक्षण सह सत्यापन समिति

v. निरीक्षणों पर आवधिक डाटा का विश्लेषण करना और किसी भी अनधिकृत निरीक्षक को हटाना।

vi. भौतिक साक्ष्य में पायी गई विसंगतियों के मामले में अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करना।

vii. आपात और अस्थायी छूट प्रदान करना, जो भर्ती किए गए बैचों के शैक्षणिक सत्र के समापन तक सीमित है।

viii. बैठक करना और संवीक्षा सह मान्यता समिति की सिफारिशों सहित सभी प्रस्तावों को उसमें प्रस्तुत करना।

ix. प्रत्यायन और संबंधन पर स्थायी समिति की सिफारिशें तदनुसार डीजीटी द्वारा जारी की जाएंगी।

x. इस प्रकार प्रदत्त संबंधन इस शर्त पर दी जाएगी कि संस्थानों में सभी संकाय सदस्य मानदंडों के अनुसार होंगे।

xi. प्रत्यायन और संबंधन के दिशानिर्देश/प्रणाली विकसित एवं अनुमोदित करना। इनमें करार का प्रारूप, आवेदन जमा करने और पावती की प्रक्रिया, पात्रता की आवश्यकता, प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी, शुल्क और प्रभार, और भुगतान का तरीका, निर्णय को न्यायोचित करने के लिए संचार और इसकी समय-सीमा – अनुमोदन /अस्वीकृति तथा यदि अस्वीकृत हो जाता है तो निवारण के लिए आवेदक के अधिकार शामिल होंगे और प्रदान करेंगे।

xii. संबंधन / प्रत्यायन उस तिथि से प्रभावी होगी, जैसा कि निर्धारित किया गया है और यह संस्थान द्वारा उस करार, जो प्रत्यायन/संबंधन प्रदान करता है एवं सभी दिशानिर्देशों, जो इस करार का भाग है का अनुपालन करने के अध्यधीन होगा।

xiii. संबंधन / प्रत्यायन प्रदान करने वाले करार में शामिल होंगे: -

क. संस्थान / प्रबंधन / व्यक्ति का नाम (जैसा कि एनसीवीईटी अधिसूचना के 1 (xiv) में),

ख. प्रत्यायन/संबंधन की अवधि

ग. पात्रता के बारे में सूचना और प्रतिनिधित्व,

घ. योग्यता / पाठ्यक्रम / इकाइयां / स्वीकृत सीटें,

ङ. संस्थान की अपेक्षित निरंतर जिम्मेदारी के बारे में:

- प्रासंगिक दिशानिर्देशों में यथा निर्दिष्ट मानकों का रखरखाव और प्रवर्तन,
- प्रासंगिक दिशानिर्देशों में यथा निर्दिष्ट संस्थान के आवधिक सत्यापन / निरीक्षण / लेखा परीक्षा के संचालन की आवश्यकता को पूरा करना,
- शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना।

च. ऐसी प्रक्रियाएँ जिनके द्वारा डीजीटी दैनंदिन पत्र-व्यवहार सहित संस्थान के साथ संवाद कर सके, सूचना मांगने के लिए अनुरोध कर सके, समझौते के उल्लंघन के नोटिस जारी कर सके, दिशा-निर्देश जारी कर सके और संबंधित दिशानिर्देशों में यथा निर्दिष्ट दंड लगाए जा सके,

छ. संबंधन / प्रत्यायन प्रदान करने वाले समझौते में निर्दिष्ट सभी आवश्यकताएं एपेक्स कमेटी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और एससीसीएस द्वारा निर्धारित मानकों के अध्यधीन होंगी।

xiv. मान्यता को सरेंडर करने के लिए आईटी उपकरण के साथ प्रक्रिया विकसित करना निम्न प्रकार है : -

क. संस्थान डीजीटी को नोटिस देगा कि वह उसके द्वारा प्रत्यायित/सम्बद्ध एक या अधिक योग्यताओं अथवा कौशल के संबंध में प्रत्यायन/संबंधन को समाप्त करना चाहता है।

ख. आत्मसमर्पण की सूचना की सामग्री और सूचना के संचार के तरीके को निर्दिष्ट किया जाएगा,

ग. समिति द्वारा प्राप्त नोटिस में इस आवश्यकता पर विचार किया जाए कि प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रशिक्षणार्थियों से बचा जाए/ प्रशिक्षणार्थियों के हित की रक्षा की जाए।

घ. संयोजक सदस्य सरेंडर की प्रभावी तारीख, और उस तारीख जब संस्थान को प्रत्यायन/संबंधन प्रदान करने वाला करार समाप्त हो रहा है और उस तारीख से वह संस्था एक संस्थान के रूप में नहीं रहा, से पूर्व उस संस्थान को यह सूचित करने के लिए एक आदेश जारी करेगा कि सरेंडर हेतु अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है और प्रशिक्षणार्थियों के हित की रक्षा के लिए क्या अपेक्षित कार्रवाई की जाए।

xv. प्रक्रिया में परिवर्तन और संशोधनों के लिए प्रस्ताव बनाएं, जो कि सक्षम प्राधिकारी के अंतिम अनुमोदन के बाद ही संशोधित किया जाएगा।

3.3. मूल्यांकन पर स्थायी समिति (एससीए): -

3.3.1. समिति का गठन निम्न प्रकार होगा-

क्रम सं	**पदनाम**	**संरचना**
1.	महानिदेशक, प्रशिक्षण	अध्यक्ष
2	परीक्षा नियंत्रक (सीओई)	सदस्य संयोजक
3	वरिष्ठतम उप महानिदेशक, सीओई से अलग	सदस्य
4-5	दो राज्यों के सचिव जैसा कि एपेक्स कमेटी में है अथवा उनके निदेशक (महानिदेशक द्वारा नामित)	सदस्य
6-7	दो प्रधानाचार्य (महानिदेशक द्वारा नामित) जैसा कि एपेक्स कमेटी में है	सदस्य
8-10	महानिदेशक द्वारा नामित प्रशिक्षण महानिदेशालय के तीन निदेशक – निदेशक पाठ्यक्रम विकास एवं क्षेत्रीय निदेशालय कौशल विकास और उद्यमशीलता के 02 सदस्य	सदस्य

11.	निदेशक ट्रेड प्रमाणन, डीजीटी	सदस्य
12.	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतिनिधि (महानिदेशक द्वारा नामित)	सदस्य

3.3.2. मूल्यांकन पर स्थायी समिति के कार्य:

i. मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुरूप मूल्यांकन का आदेश देना और मूल्यांकन के लिए तिथियां तय करना ।

ii. महानिदेशक के अनुमोदन के लिए परीक्षकों, प्रश्न बैंक डेवलपर्स, अनुवाद, पेपर सेटर, मध्यस्थों के बारे में "पाठ्यक्रम एवं मानकों पर स्थायी समिति" की सिफ़ारिशों पर विचार करना।

iii. मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) सहित व्यावहारिक मूल्यांकनकर्ताओं की सूची तैयार करना।

iv. "पाठ्यक्रम एवं मानकों पर स्थायी समिति" की सिफ़ारिशें प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक व्यवसाय के लिए प्रश्नपत्रों की संख्या / प्रश्नों की संख्या/ भाषाओं / प्रत्येक व्यवसाय के लिए अंकन योजनाओं की संख्या को अंतिम रूप देना।

v. "पाठ्यक्रम एवं मानकों पर स्थायी समिति" की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात विभिन्न व्यवसायों/पाठ्यक्रमों में थ्योरी और प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) मूल्यांकन के ढंग और अवधि की सिफारिश करना।

vi. पेपर-सेटरों, अनुवादकों, परीक्षकों, मध्यस्थों, अन्वेषकों, पर्यवेक्षकों, परीक्षा केंद्र अधीक्षक और अन्यों के लिए मानदेय दर की सिफारिश करना।

vii. संबंधित परीक्षा नियंत्रक / ट्रेड प्रमाणन सेल द्वारा चयनित सीबीटी के संचालन के लिए मूल्यांकन एजेंसी के नाम की सिफारिश करना।

viii. मौखिक और प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) परीक्षण तथा प्रारंभिक / आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित करना।

ix. प्रशिक्षणार्थियों, मूल्यांकन केंद्रों, परीक्षा अधीक्षकों और आवश्यकतानुसार मूल्यांकन से संबंधित अन्यों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को मंजूरी देना।

x. रियायती अंकों के लिए नियमों की रूपरेखा तैयार करना।

xi. यदि कोई मामला है, केवल ऐसी स्थिति में ही परिणामों के प्रकाशन/घोषणा को निर्देशित करना अन्यथा परिणाम समीक्षा समिति की सिफारिश को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

xii. मूल्यांकन के मामलों और प्रशिक्षणार्थियों के परिणाम से संबन्धित ऐसे अन्य मामलों से निपटना, जैसा कि परीक्षा नियंत्रक द्वारा संदर्भित है।

xiii. मूल्यांकन में उपस्थित होने वाले / उपस्थित / अनुमति प्राप्त नहीं होने वाले प्रशिक्षणार्थियों की शिकायत से निपटने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना।

xiv. समीक्षा की प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात मूल्यांकन के संचालन हेतु मानक दिशानिर्देशों में संशोधन प्रस्तावित करना।

xv. मूल्यांकन के संचालन से उत्पन्न अन्य सभी मामलों पर विचार करना और जहां आवश्यक हो डीजीटी को सिफारिशें करना।

xvi. क्षेत्रीय निकायों के रूप में क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय को मूल्यांकन के विकेंद्रीकरण के तरीकों और साधनों का पता लगाना।

4. गुणवत्ता आश्वासन और शिकायत निवारण (क्यूएजीआर) इकाई:-

इस संबंध में एक **गुणवत्ता आश्वासन और शिकायत निवारण (क्यूएजीआर)** इकाई भी होगी जो तीन स्थायी समितियों से स्वतंत्र इकाई होगी। यह इकाई भविष्य में बदलाव लाने में सुविधा प्रदान करने हेतु कार्य करेगी, जैसे कि अपेक्षानुसार संबंधन और मूल्यांकन हेतु एक पृथक कार्यत्मकता और एक विशेष प्रयोजन कार्यक्रम (एसपीवी) लाना।

क्यूएजीआर इकाई संबंधन / संबंधन को हटाए जाने से संबंधित सभी शिकायतों को सुनने और उनकी समीक्षा करने के लिए एक उच्च समिति होगी।

4.1. समिति का गठन निम्न प्रकार होगा:-

क्रम सं	**पदनाम**	**संरचना**
1.	महानिदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय	अध्यक्ष
2	उप महानिदेशक (महानिदेशक द्वारा नामित)	सदस्य संयोजक
3.	निदेशक (संबंधन)	सदस्य
4	निदेशक (पाठ्यक्रम प्रभाग)	सदस्य
5	निदेशक (व्यवसाय परीक्षण)	सदस्य
6	सीबीएसई / एआईसीटीई से 01 (1 वर्ष के कार्यकाल के लिए रोटेशन आधार पर) (संयुक्त निदेशक के पद से नीचे नहीं) (महानिदेशक द्वारा यथा नामित)	सदस्य
7-8	राज्य/संघ शासित प्रदेशों के 02 प्रतिनिधि (1 वर्ष के कार्यकाल के लिए रोटेशन आधार पर) (संयुक्त निदेशक के पद से नीचे नहीं) (महानिदेशक द्वारा यथा नामित)	सदस्य
09	01 आरडी, आरडीएसडीई (महानिदेशक द्वारा यथा नामित)	सदस्य

5. समिति का कार्यकाल **3 वर्ष** अथवा जैसा कि **एनसीवीईटी** द्वारा अधिसूचित है, जो भी पहले होगा।

नीलम शमी राव, महानिदेशक/अपर सचिव

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(Directorate General of Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2021

“Functioning of Directorate General of Training (DGT) as an Awarding Body and Assessment Agency for Institutes under Skill Training Ecosystem”

No. MSDE(DGT)-19/08/2020-CD.—The following is published for general information:—

Preamble

Whereas **Ministry of SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP** has vide notification **No. SD-17/113/2017-E&PW**, dated **05th December, 2018**, constituted the **National Council for Vocational Education and Training(NCVET)**, subsuming the existing **National Council for Vocational Training(NCVT)** and the **National Skill Development Agency(NSDA)**.

Whereas the **National Council for Vocational Education and Training (NCVET)**has been entrusted with the development, qualitative improvement and regulation of vocational education and training, for granting recognition to and monitoring the functioning of awarding bodies, assessment agencies, skill information providers, and training bodies, and to perform other incidental functions as specified in this Resolution.

Whereas the Council **(NCVET)**with the powers conferred to it under chapter III **functions and powers of the council** Para 16 (1), vide F.No: 32001/14/2020/NCVET/234, dated **10.06.2020**has recognized **Directorate General of Training (DGT)** as a sole ‘**Awarding Body**’ and a sole ‘**Assessment Agency**’ for long term trainings and training of trainers in ITIs and NSTIs/IToTs with respect to all qualifications created by **DGT** and approved by **NCVET** for the purpose.

Therefore, in pursuance to the above, **Directorate General of Training (DGT)Apex Committee** is hereby notified as a formal structure for providing institutional oversight to proposals relating to accreditation, affiliation, de-affiliation and reaffiliation of the institutes, setting curriculum for different trades/ courses, and conducting assessments. This **DGT Apex Committee** shall serve to ensure quality,

standards, and conformity with **NCVET** guidelines and orders. The **DGT Apex Committee** shall discharge its key roles and responsibilities through three empowered **Standing Committees** and a **Quality Assurance unit** under itself.

1. Short title, commencement andcomposition: -

i. The committee shall be called as **Directorate General of Training Apex Committee** (DGT Apex Committee).

ii. The committee shall come into force from the **date of publication** of the notification in the Official Gazette of India.

iii. The Committee shall havethe following composition: -

1	Director General (Ex-Officio)	Chairperson
2	Deputy Director General (nominated by DG)	Member Secretary
3-4	Other Deputy Director Generals	Member
5	Nominee of Chairperson, National Council for Vocational Education & Training	Member
6	Additional Secretary / Financial Adviser, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE)	Member
7	Joint Secretary, of Ministry of Labour and Employment	Member
8	Joint Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Member
9	Joint Secretary Department of School Education & Literacy, Ministry of Education	Member
10	Secretary (ITI) in Northern State of India (On rotational basis to be nominated by DG annually)	Member
11	Secretary (ITI) in Southern State of India (On rotational basis to be nominated by DG annually)	Member
12	Secretary (ITI) in Western State of India (On rotational basis to be nominated by DG annually)	Member
13	Secretary (ITI) in Eastern State of India (On rotational basis to be nominated by DG annually)	Member
14	Secretary (ITI) in North- Eastern State of India (On rotational basis to be nominated by DG annually)	Member
15	Vice Chairman, All India Council for Technical Education	Member
16	Secretary General, Association of Indian Universities	Member
17	Director, Central Staff Training and Research Institute	Member
18	Director (Edusat& VE), Central Board of Secondary Education	Member
19	Director (Vocational Education), National Institute of Open Schooling	Member
20-22	Senior Representation of Standing Conference of Public Enterprises, Associated Chambers of Commerce and Industry of India, PHD Chamber of Commerce and Industry, Confederation of Indian Industry, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry and National Association of Software & Service Companies (3 members nominated by DG on rotational basis)	Member
23	Chief Executive Officer, Sector Skill Council (annually one each from manufacturing & another sector) (nominated by DG on rotational basis)	Member
24-25	Principal, National Skill Training Institute(NSTI)(One each from General and Woman institute, to be nominated by DG on rotational basis annually)	Member
26-27	Principal ITI (Amongst top-10 rated Government ITI/Private ITI (one each, on rotational basis, to be nominated by DG)	Member

28-29	RepresentativeofPrivateIndustry/PublicSectorUnit/Central/StateGovt office, engaging highest number of apprentices(2membersnominated by DG on rotational basis)	Member
30	Chief Executive Officer, National Skill Development Corporation	Member
31	Director, National Instructional Media Institute	Member

iv. Functions of DGT Apex Committee: -

The Apex Committee will ensure that the proposal/ norms are aligned with the guidelines and orders of **NCVET**. It will set up systemic measures through guiding policies for DGT to implement them through institutionalized procedures and draw up systems that are process driven, standardized, transparent and supported through IT Tools. Towards this, it shall frame and publish policies through which Standing Committees, its sub committees or DGT will be undertaking delegated decisions for necessary actions.

These will be in the following domain-

a. guidelines for the development & management of -curriculum, syllabus and content - for trades and courses under various sectors through SCCS,

b. approve and encourage development of position papers on various aspects of long-term skill development,

c. prescribe guidelines and process for development of standards for training pedagogy & certification of trainers including pre-service, induction and continuous/regular/periodic in-service trainings as well as the process for development of standards for prescribing to such institutions,

d. formulate directives for defining and specifying standards of testing and assessments including admissions with adequate checks and balance,

e. frame Standard Operating Procedures (SOP) on how processes for accreditation and affiliations of institutes including their roles & responsibilities and terms of training delivery will be developed and prescribe consequences for violation of such conditions. The SOP shall also include model agreement/ order between institutes and DGT that will have legal provisions & consequences on violation of agreement,

f. prescribe guidelines & conditions for determination of fees & other charges that institutes may impose.

g. develop standards and guidelines for information display in public domain and dissemination and adherence of the same including adequate disclosure of fees & other charges. In addition, receive information and recommend policy prescription on controlling confidentiality of personal information of trainees & require the institutes to undertake various steps towards disclosure & confidentiality,

h. draw up guidelines for cancelling the accreditation /affiliation of institutes in case of violation of the conditions of accreditation, in the manner stated in the agreement granting recognition. Also, frame conditions that will enable DGT to act for violation of agreement including monetary compensation and penalty the actions and penalties would be such as public warning, directions to cease & desist certain activities, compensation (monetary) or direction requiring specific performance towards trainees, impose prescribed penalties; and de-accredit /de-affiliate the institutes, leading to termination of the agreement pursuant to which accreditation/affiliation was granted,

i. set up system/process of redressing grievances of institutes, and of trainees with the institutes,

j. review systems of Quality Assurance placed by DGT,

k. define further delegation to its standing committees beyond the one that is already given to standing committees, through these guidelines,

l. take note of processes for accreditation & affiliation, surrender of accreditation/ affiliation or de -accreditation or de-affiliation and penalties therein on the institutes,

m. get information on valuable qualifications of other awarding bodies for possible adoption with rights of assessment & certification by DGT as a superior body for certification,

n. to undertake any other task for fulfilling the objective as entrusted and recommended by chairman.

2. The Committee Shall function through following three empowered Standing Committees to make decision on regular basis within their respective domains: -

(1) Standing Committee on Curriculum & Standards (SCCS),

(2) Standing Committee on Accreditation & Affiliation (SCAA),

(3) Standing Committee on Assessment (SCA).

3. **Constitution, Composition and Functions of Standing Committees: -**

3.1. Standing Committee on Curriculum & Standards (SCCS): -

3.1.1. The Committee shall have the following composition-

S.No.	Designation	Composition
1.	Director General, Directorate General of Training	Chairperson
2	Deputy Director General, Curriculum Division	Member Convener
3	Director, Curriculum Division	Member
4	Director, Central Staff Training and Research Institute	Member
5	Director, National Instructional Media Institute	Member
6	Director, Trade Testing	Member
7-8	Nominees of two States, not below the rank of Director on rotation basis with a tenure of one year (Nominated by DG)	Member
9-12	Four other Members of Apex Committee, three out of which include one representative each from Central Board of Secondary Education, All India Council for Technical Education, Principal ITI, and an industry representative. (Nominated by DG)	Member
13-14	02 STCC Conveners (nominated by DG according to concerned sectors)	Member
15	Chief Executive Officer, Sector Skill Council from the Apex Committee (nominated by DG)	Member

3.1.2. Functions of the Committee: **-**

i. establish NTC/NAC/NCIC/STT in trades within the scope of DGT & NSQF compliance

ii. approve position papers & SOPs on curriculum aligned to NSQF and to provide a common vision (process flow) to Sectoral Trades Course Committee (STCC) for proposal of new courses, preparation of syllabus, pedagogy, teaching & learning, equipment standards and assessment tools.

iii. to constitute STCC, develop model guidelines for their functioning, assess their task and modify or alter them accordingly and monitor their functioning whilst mentoring them continuously through sharing of good practices.

iv. to develop and continuously review learning progression pathways and harmony with credit framework and apply it such that issues of vertical and horizontal mobility are addressed.

v. to examine recommendations and report of STCC and review recommendations like addition, deletion and modification of CTS courses, Apprenticeship Training courses for designated trades and CITS courses, both for long term and short term with adherence to best international and industry practices /standards.

vi. to provide standard protocol for under taking all instructor training schemes including pre-service, induction & professional refresher training and align each training with NSQF level and credits.

vii. to approve curricula and syllabus, pedagogy and training delivery for the Craftsmen Training Scheme (CTS) including Dual System of Training (DST) & Flexi-MoU, Crafts Instructor Training Scheme (CITS), Advanced Diploma (Vocational), Apprenticeship Training Scheme (ATS), short term courses for upskilling and courses under Advanced Vocational Training Scheme (AVTS) or any other such courses.

viii. to review and approve the nomenclature, sector, duration, tools and equipment, power, space etc. of trade and contents developed by STCC and also qualification norms for all the instructional and other staff required to run the Institute or the course in sync with guidelines & policies of Apex Committee.

ix. to prescribe standards in respect of syllabi and accordingly approval of textbooks, practical, digital session on boarding etc, when considered necessary, in conformity with the syllabus.

x. To make generic scheme of marking, including broad contours of mode and duration of theory and practical assessments for each course.

xi. to cover identification of sectors, trades and course.

xii. to determine processes, in the wake of rapid industrial changes, for continuous upgradation and also steps for content development, including public consultation and feedback mechanism.

3.2. Standing Committee on Accreditation & Affiliation (SCAA): -

3.2.1. The Committee shall have the following composition-

S.No.	Designation	Composition
1.	Director General, Directorate General of Training	Chairperson
2	Deputy Director General (Trade Certification)	Member Convener
3.	Director (Affiliation)	Member
4	Director (Curriculum Division)	Member
5-7	Three members of which one from an affiliation awarding body (Central Board of Secondary Education/ All India Council for Technical Education), one representative from industry in that district and one representative from Sector Skill Council of concerned Sector (to be nominated by DG)	Members from the Apex Committee
8-9	Two Members from the Member State in the Apex committee and nominated by State Secretaries but not below the rank of Additional Secretary/Directors (to be nominated by DG)	Member -State Governments

3.2.2. The functions of the Standing Committee on Accreditation & Affiliation: -

i. Scrutinize applications for affiliation, de affiliation & re affiliation and to give its approvals or recommendations or both to the chair

ii. Make suitable recommendations to Standing Committee on Curriculum and Standards, for norms

iii. Approve academic calendar & fix minimum periods of teaching for particular academic session.

iv. Formulate & approve process for empanelling of

a. scrutiny cum recognition committee member

b. Inspection cum verification committee.

v. Analyze periodic data on inspections and remove any unwarranted inspectors

vi. Recommend for disciplinary action against officers in case of observed anomalies with material evidence.

vii. Grant an emergency & temporary exemption, limited to conclusion of academic session with admitted batches.

viii. Convene meeting and place all proposals along with the recommendations of the scrutiny cum recognition committee

ix. The recommendations of the Standing Committee on Accreditation & Affiliation will be issued accordingly by DGT.

x. The affiliation so granted will be subject to the condition that institutes shall have all the faculty members in institutes as per norms.

xi. Develop & approve guidelines /system of accreditation and affiliation. These shall include and provide format of agreement, process for submission & acknowledgement of application, eligibility requirement, information to be submitted, fees and charges, and mode of payment, communication and its time frame for justifying the decision -approval/rejection and rights of applicant for redressal if rejected.

xii. An affiliation /accreditation shall take effect from a date as specified & would be subject to institutes compliance with the agreement granting accreditation /affiliation & all guidelines that form part of the agreement.

xiii. The agreement granting affiliation/accreditation shall contain: -

a. name of the institute /management/ Person (as in 1(xiv) of NCVET notification),

b. period of accreditation/affiliation

c. Information & representation regarding eligibility,

d. qualification/courses /units /Seats allowed,

e. Expected continued responsibility of the institute regarding:

- the maintenance& enforcement of standards as specified in the relevant guidelines,
- fulfilling requirement for the conduct of periodic verification/inspection/audit of institute as specified in the relevant guidelines,
- establishing the grievances redressal system.

f. processes by which the DGT shall communicate with the institute including routine communication, requests for seeking information, issuing notices of breach of the agreement, issue directions and imposition of penalties, as specified in the relevant guidelines.

g. All requirements specified in the agreement granting affiliation/accreditation shall be subject to guidelines framed by Apex Committee and standards prescribed by SCCS.

xiv. Develop process with IT tool, for surrender of recognition as below: -

a. An institute shall give notice to the DGT that it wishes to cease to be accredited/affiliated with respect to one or more qualifications or skills accredited/affiliated by it.

b. The contents of a notice of surrender and the manner of communication of the notice shall be specified,

c. the notice received by the Committee shall consider the need to avoid prejudice trainees, /protect interest of trainees

d. The Member convener shall issue an order to the institute communicating its acceptance of the request for surrender, any actions required to be taken by the institute for the protection of trainees' interest, prior to the effective date of surrender, and the date on which the agreement granting accreditation/affiliation to the institute shall stand terminated, and such body shall cease to be an institute from such date.

xv. Make proposals for alteration and modifications in the procedure, that will be modified only after final approval of the competent authority.

3.3. Standing Committee on Assessment (SCA): -

3.3.1. The Committee shall have the following composition-

Sl. No.	Designation	Composition
1.	Director General of Training	Chairperson
2	Controller of Examination (CoE)	Member Convener
3	Senior most Deputy Director General, other than CoE	Member
4-5	Secretaries of Two States as in Apex Committee or theirDirectors (nominated by DG)	Members
6-7	Two Principals as in Apex Committee (nominated by DG)	Members
8-10	Three Directors of Directorate General of Training nominated by Director General – Director Curriculum Development & 02 Regional Directorates of SkillDevelopment & Entrepreneurship	Members
11.	Director Trade Certification, DGT	Member
12.	Representative from Central Board of Secondary Education (nominated by DG)	Member

3.3.2. Functions of Standing committee on Assessment:

i. To order assessment in conformity with the Assessment Guidelines and to fix dates for assessment.

ii. To consider the recommendations of the "Standing Committee on Curriculum & Standards" regarding examiners, question bank developers, translation, paper setter, moderators for the approval of the DGT.

iii. To prepare list of practical assessors including their Standard Operating Procedures (SOP).

iv. To finalize the number of question papers/ number of questions/languages/ schemes of marking to be set for each trade after receiving the recommendations from the "Standing Committee on Curriculum & Standards".

v. To recommend the mode and duration of theory and practical assessment in various trades/courses after considering the recommendations of the "Standing Committee on Curriculum & Standards"

vi. To recommend rate of honoraria for paper-setters, translators, examiners, moderators, invigilators, observers, exam Centre superintendent and others.

vii. To recommend name of assessment agency for conduct of CBT as selected by the concerned Examination Controller / Trade Certification Cell.

viii. To set the process of conducting oral and practical tests and formative/ internal assessments.

ix. To approve Standard Operating procedures for trainees, assessment centers, superintendents of exams and others relating to assessment as required.

x. To frame the rules for the award of grace marks.

xi. To direct the publication/ declaration of the results only if there is any issue arise otherwise result review committee recommendation on result may be approved by competent authority.

xii. To deal with issues in the assessment and such other cases pertaining to the result of the trainees as are referred to it by the Controller of Examination.

xiii. To frame guidelines for grievance handling of trainees appearing/appeared/not allowed, in assessment.

xiv. To propose amendments in Standard Guidelines for the Conduct of assessment after following the process of review

xv. To consider all other matters arising out of conduct of assessment and to make recommendations to the DGT where ever necessary.

xvi. To find out ways and means for decentralization of assessment to Regional Directorate for Skill Development & Entrepreneurship level as regional bodies.

4. Quality Assurance and Grievance Redressal (QAGR) Unit: -

There shall also exist **Quality Assurance and Grievance Redressal (QAGR)** unit, which shall be independent unit of the three Standing Committees. This unit shall undertake tasks for ease of future transformations such as towards bringing in a separate functionality and a Special Purpose Vehicle (SPV) for affiliation and assessments as required.

The **QAGR unit** will be a superior committee to listen and review all grievances related to affiliation/de-affiliation.

4.1. The Committee shall have the following composition: -

S.No.	**Designation**	**Composition**
1.	Director General, Directorate General of Training	Chairperson
2	Deputy Director General (as nominated by DG)	Member Secretary
3.	Director (Affiliation)	Member
4	Director (Curriculum Division)	Member
5	Director (Trade Testing)	Member
6	01 from CBSE/AICTE (on rotational basis for a tenure of 1 year)(not below the rank of Joint Director) (as nominated by DG)	Member
7-8	02State/UTs representatives(On rotational basis for a tenure of 1 year)(not below the rank of Joint Director)(as nominated by DG)	Member
09	01 RD, RDSDE (as nominated by DG)	Members

5. The Committee shall have a tenure of **3 years** or as notified by **NCVET**, whichever is earlier.

NEELAM SHAMI RAO, Director General/Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.02.04 22:23:36 +05'30'